29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 146-दो/2006 - विरूद्ध- आदेश दिनॉक 3-1-2006 - पारित द्वारा अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 504/1999-2000 अ-6

1- भगवानदास पुत्र गयादीन
2- प्रभावती पत्नि स्व.मोहनलाल
3- राजकिशोर पुत्र स्व.मोहनलाल
4- ज्ञानवाई पुत्री स्व. मोहनलाल
5- हल्कू पुत्र स्व.मोहनलाल
6- अब्बू पुत्र स्व.मोहनलाल
सभी निवासी ग्राम साहिलवारा
तहसील गुन्नौर जिला पन्ना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- गोविन्द प्रसाद पुत्र विद्याधर
2- महिला भूरीवाई पत्नि विद्याधर
निवासीगण ग्राम सहिलवारा तहसील
गुन्नौर जिला पन्ना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनॉक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 504/1999-2000 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सहिलवारा स्थित कुल किता 14 कुल रकबा 3.182 हैक्टर हल्काई कृषक के नाम थी। हल्काई की मृत्यु उपरांत उसकी बहिन भूरीवाई के नाम नामांत्रण हुआ एंव भूरीवाई ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल पन्ना से प्रकरण कमांक 32/अ-27/85-86 में पारित आदेश दिनॉक 8-10-86 से अपने पुत्र गोविन्द प्रसाद के नाम बटवारा करके भूमि नामे करवा दी। तदुपरांत मोहनलाल एंव भगवानदास ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना से प्रकरण कमांक 131 अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनॉक 26-9-87 से विकय पत्र के आधार पर अपना नामांत्रण करवा लिया। इसी दरम्यान भूमि पर महिला भूरीवाई का नाम दर्ज चले आने के कारण प्रकरण कमांक 152 अ-6-अ/88-89 प्रारंभ हुआ एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना ने आदेश दिनांक 19-7-89 से अन्य नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेशों के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी पन्ना के समक्ष दो अपील 69/88-89 एंव 51/90-91 प्रस्तुत हुई, जिनमें पारित संयुक्त आदेश दिनांक 28-4-91 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त बंदोवस्त ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 33/93-94 प्रस्तुत हुई , जिसमें पारित आदेश दिनांक 18-9-98 से अपील स्वीकार की जाकर सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 8-10-86 यथावत् रखा गया।

अपर आयुक्त बंदोवस्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 18-9-98 की प्रति तहसीलदार गुनौर को पालन हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण कमांक 74 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 17-6-99 से अपर आयुक्त के आदेशानुसार रिकार्ड दुरूस्ती की गई। इस आदेश के विरूद्व भगवान दास पुत्र गयादीन ने अनुविभागीय अधिकारी गुनोर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 91/98-99 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2000 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-6-99 निरस्त किया गया अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर

आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष अपील कमांक 504/99-2000 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त व्दारा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3-1-2006 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-2000 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह अपर आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर पुनः आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मोहनलाल एंव भगवानदास व्दारा विकय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तण आवेदन को सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना ने प्रकरण कमांक 131 अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनॉक 26-9-87 से वादग्रस्त भूमि पर विकय पत्र के आधार नामांत्रण किया है इस नामान्तरण आदेश को राजस्व विभाग के विभिन्न न्यायालयों में चुनौतियॉ दी गई है , परन्तु किसी भी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह ध्यान नहीं दिया कि विकय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं किया जाता, विकय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण सही है तथा विकय पत्र को शून्य घोषित करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है, परन्तु प्रकरण की वास्तविक स्थिति एंव वास्तविक तथ्य पर जाये बिना अधीनस्थ न्यायालयों ने न केवल

पक्षकारों बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है, अपितु न्यायालयों का समय भी व्यर्थ किया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश परस्पर विरोधाभाषी होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 504/1999-2000 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2006 एंव उपरोक्त पद दो में दिये गये विवरण अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 33/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 131 अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनॉक 26-9-87 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते है। यह आदेश न्यायालय के प्रकरण कमाक 212-पीबीआर/99 पर भी यथावत् लागू होगा।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर